प्रेस विज्ञप्ति

सॉवरन स्वर्ण बांड 2016-17 श्रृंखला-I

भारत सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से सॉवरन स्वर्ण बांड का चौथा ट्रांश जारी करने का निर्णय लिया है। बांड के लिए आवेदन 18 जुलाई, 2016 से 22 जुलाई, 2016 तक स्वीकार किए जाएंगे। बांड 05 अगस्त, 2016 को जारी किए जाएंगे। बांड बैंकों, स्टॉक होल्डिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एसएचसीआईएल) और नामोद्दिष्ट डाकघरों, मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों अर्थात नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड और बाम्बे स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा बेचे जाएंगे।

यह स्मरण हो कि माननीय वित्त मंत्री ने केंद्रीय बजट 2015-16 में स्वर्ण धातु की खरीद करने के विकल्प के रूप में, सॉवरन स्वर्ण बांड, वित्तीय आस्ति तैयार करने की घोषणा की थी।

तदनुसार, 2015-16 के दौरान तीन ट्रांश जारी किए गए हैं। बांड की विशेषताएं नीचे दी गई हैं:

क्र. सं.	मद	ब्यौरा
1	उत्पाद का नाम	सॉवरन स्वर्ण बांड, 2016-17 श्रृंखला-I
2	निर्गम	भारत सरकार की ओर से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए जाएंगे।
3	पात्रता	ये बांड व्यष्टियों, हिन्दू अविभक्त कुटुम्बों, न्यासों, विश्वविद्यालयों और पूर्त संस्थाओं सहित निवासी भारतीय निकायों को ही बेचे जाएंगे।
4	मूल्यवर्ग	इन बांडों को 1 ग्राम की मूल यूनिट के साथ ग्राम (ग्रामों) के गुणजों में मूल्यवर्गित किया जाएगा।
5	अवधि	बांड की अवधि 8 वर्ष की होगी और 5वें वर्ष से इससे हटने का विकल्प होगा जिसका प्रयोग ब्याज संदाय तारीखों पर किया जा सकेगा।
6	न्यूनतम मात्रा	न्यूनतम अनुमत निवेश 1 ग्राम सोना होगा।
7	अधिकतम सीमा	किसी निकाय द्वारा अभिदत्त अधिकतम मात्रा 500 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रति वित्त वर्ष (अप्रैल-मार्च) से अधिक नहीं होगी। इस आशय की स्व-घोषणा प्राप्त की जाएगी।

8	संयुक्त धारक	संयुक्त धारिता की स्थिति में, 500 ग्राम की निवेश सीमा प्रथम आवेदक पर ही लागू होगी।
9	निर्गम मूल्य	बांड का मूल्य, इंडियन बुलियन एंड जूलर्स एसोसिएशन लि.(आईबीजेएल) द्वारा प्रकाशित 999 शुद्धता वाले सोने की पिछले सप्ताह (सोमवार-शुक्रवार) के बंद भाव के सामान्य औसत के आधार पर भारतीय रुपए में तय किया जाएगा।
10	भुगतान का विकल्प	बांडों के लिए भुगतान (अधिकतम 20,000 रुपए तक) नकद भुगतान के जरिए अथवा डिमांड ड्राफ्ट अथवा चैक अथवा इलेक्ट्रानिक बैंकिंग के जरिए होगा।
11	निर्गम का प्रकार	जीएस अधिनियम, 2006 के अंतर्गत भारत सरकार स्टॉक। निवेशकों को धारिता प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा। ये बांड डिमेट रूप में रूपांतरण हेतु पात्र होंगे।
12	मोचन मूल्य	मोचन मूल्य आईबीजेए द्वारा प्रकाशित 999 शुद्धता वाले सोने के बंद मूल्य के पिछले सप्ताह (सोमवार-शुक्रवार) के साधारण औसत के आधार पर भारतीय रूपए में होगा।
13	बिक्री के चैनल	बांडों की बिक्री, यथा अधिसूचित के अनुसार बैंकों, एचसीएचआईएल और नामोद्दिष्ट डाकघरों के जरिए, स्वीकृत स्टॉक एक्सचेंजों अर्थात नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड और बाम्बे स्टॉक एक्सचेंज से सीधे अथवा एजेंटों के जरिए की जाएगी।
14	ब्याज दर	निवेशकों को निवेश के आरंभिक मूल्य पर 2.75 प्रतिशत प्रति वर्ष की नियत दर पर अर्धवार्षिक रूप से देकर प्रतिपूरित किया जाएगा।
15	संपार्श्विक	बांडों को ऋणों के लिए संपार्श्विक के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। मूल्य के प्रति ऋण का अनुपात भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर अधिदेशित साधारण स्वर्ण ऋण के बराबर निर्धारित किया जाएगा।
16	केवाईसी प्रलेखन	अपने ग्राहक को जानो (केवाईसी) मानदंड वही होंगे जो वास्तविक सोने की खरीद के हैं। केवाईसी दस्तावेज जैसे मतदाता पहचानपत्र, आधार कार्ड/पैन या

		टैन/पासपोर्ट जरूरी होंगे।
17	कर उपचार	आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के उपबंधों के अनुसार स्वर्ण बांड पर ब्याज देय होगा और स्वर्ण गोल्ड बांड के मोचन से होने वाले पूंजी लाभ पर कर से व्यष्टि को छूट दी गई है। बांडों के हस्तांतरण से किसी व्यक्ति को होने वाले दीर्घावधिक पूंजी लाभ के लिए सूचीकरण लाभ प्रदान किए जाएंगे।
18	विक्रेयता	बांड, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अधिसूचित तारीख से स्टॉक एक्सचैंजों/एनडीएस-ओएम में विक्रेय होंगे।
19	एसएलआर पात्रता	ये बांड सांविधिक नकदी अनुपात के लिए पात्र होंगे।
20	कमीशन	बांड के वितरण के लिए कमीशन प्राप्तकर्ता कार्यालयों द्वारा प्राप्त की गई कुल, अभिदान राशि के 1 प्रतिशत की दर से अदा किया जाएगा। और प्राप्तकर्ता कार्यालय को उनके जरिए हुए कारोबार के लिए एजेंटों अथवा उप एजेंटों से प्राप्त कम से कम 50 प्रतिशत हिस्सा मिलेगा।